न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :— नेहा छीपा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— /2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सुरेश पिता रामस्वरूप तोषनीवाल निवासी भीलवाड़ा।
2. नानूराम पिता मोती लाल माली निवासी महुआखुर्द।
3. शैतान पिता लुम्बा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा, करमड़ास तहसील शाहपुरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—
1— प्रार्थीगण (स्वंय)
2— राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 08.11.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—(क) के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2023 को प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम बामणिया प.ह. बामणिया भू.अ.नि. सरदारनगर में स्थित आराजी 2043/1426 रकबा 1.2646 है0 किस्म बारानी II खातेदार अनिल कुमार पिता मनोहरलाल जाति सोमानी निवासी आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी को प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया। उक्त क्रयशुदा आराजी पर पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः ग्राम बामणिया के बिलानाम आराजी नं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म उसर, छापर में से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया।

न्यायालय द्वारा मामले में तहसीलदार बनेड़ा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

तहसीलदार बनेड़ा के पत्रांक/राजस्व/2023/1084 दिनांक 24.10.2023 से प्रकरण में रिपोर्ट (मौका पर्चा, नजरी नक्शा, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, एवं जमाबन्दी) प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार हैः—

1. यह है कि ग्राम बामणिया प.ह. बामणिया भू.अ.नि. सरदारनगर में स्थित आराजी 2043/1426 रकबा 1.2646 है0 किस्म बारानी II खातेदार अनिल कुमार पिता मनोहरलाल जाति सोमानी निवासी आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है।
2. आवेदकगण द्वारा उपपंजीयक कार्यालय बनेड़ा में पंजीयन 202303040101360 दिनांक 17.08.2023 को विक्रय पत्र से सुरेश पिता रामस्वरूप तोषनीवाल निवासी 94/8 मातृछाया, वर्धमान कॉलोनी भीलवाड़ा द्वारा आराजी नं. 2043/1426 रकबा 1.2646

है0 में से रकबा 0.4216 है0 भूमि क्रय की गई है एवं पंजीयन 202303040101362 दिनांक 17.08.2023 को विक्रय पत्र से नानूराम पिता मोती लाल माली निवासी महुआखुर्द द्वारा आराजी नं. 2043/1426 रकबा 1.2646 है0 में से रकबा 0.4215 है0 भूमि क्रय की गई है तथा पंजीयन 202303040101363 दिनांक 17.08.2023 को विक्रय पत्र से शैतान पिता लुम्बा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा, करमड़ास तहसील शाहपुरा द्वारा आराजी नं. 2043/1426 रकबा 1.2646 है0 में से रकबा 0.4215 है0 भूमि क्रय की गई है।

3. उक्त क्रय की गई आराजी में भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है एवं न ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है।
4. उक्त भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता ग्राम बामणिया के बिलानाम आराजी नं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म उसर, छापर में से रकबा 0.0599 है0 भूमि प्रस्तावित की गई है। उक्त प्रस्तावित रास्ता आराजी नं. 1426/1 गै.मु. रास्ता से लिंक है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर नक्शा ट्रेस संलग्न है।
6. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।
7. प्रार्थी द्वारा ग्राम बामणिया की बिलानाम आराजी नं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म बिलानाम उसर, छापर में से 0.0599 है0 भूमि रास्ते हेतु चाही गई है।
8. प्रकरण में प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 15,76,794/- रूपये प्रति हैक्टेयर से रकबा 0.0599 है0 भूमि की दो गुण से मालियत 1,88,900/- रूपये बनती है।
9. प्रार्थीगण के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, एवं तहसीलदार बनेड़ा के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपरोक्त सभी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त आराजी में जाने हेतु ग्राम बामणिया के बिलानाम आराजी नं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म उसर, छापर में से होकर एक नया मार्ग बनाने की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह सिर्फ सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है व उपरोक्त आराजीयात तक पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक साधन/रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा से रास्ते हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुसार आराजी नं. 1426 में से नवीन रास्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार स्वीकार इस आशय के साथ किया जा सकता है कि ग्राम बामणिया में स्थित बिलानाम भूमि आराजी नं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म उसर, छापर में से रकबा 0.0599 है0 भूमि की एवज में प्रतिकर राशि डीएलसी की दुगनी दर अनुसार 1,88,900/- रूपये राजकोष में प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाया जावें।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार ग्राम बामणिया की आराजी नं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म उसर, छापर में से रकबा 0.0599 है0 भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। भू-अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर द्वारा प्रस्तावित उक्त रकबा 0.0599 है0 भूमि जिसे नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है, जिसकी एक प्रति तहसीलदार बनेड़ा को भिजवायी जाकर रास्ता कायम किया जाना अत्यन्त आवश्यक समझते है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बामणिया प.ह. बामणिया भू.अ.नि. सरदारनगर में स्थित आराजी 2043/1426 रकबा 1.2646 है0 किस्म बारानी II में पहुचने हेतु ग्राम बामणिया की आराजी नं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म उसर, छापर में से रकबा 0.0599 है0 भूमि प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम

किया जावें। तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेड़ा द्वारा की जावें। प्रार्थीगण आराजी सं. 1426 रकबा 11.0656 है0 किस्म उसर, छापर में से रकबा 0.0599 है0 भूमि के रास्ता कायमी की एवज में प्रतिकर राशि डीएलसी की दुगनी दर अनुसार 1,88,900/- रूपये का भुगतान राजकोष में किया जावेगा। तहसीलदार बनेड़ा द्वारा उक्त रास्ते हेतु अपेक्षित भूमि राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जाएगी तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर रास्ते के अलावा अन्य कोई अधिकार अर्जित नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा